संलग्नक–4

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा जनपद मेरठ के अन्तर्गत परतापुर 132 के0वी0ए0 के स्टेशन से वेद व्यासपुरी आवासीय कॉलोनी में निर्मित आई0टी0 पार्क में 33/11 के0वी0 के उपकेन्द्र हेतु भूमिगत् विद्युत लाईन बिछाने से सम्बन्धित प्रकरण में रिठानी वन ब्लाक की आरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी, मेरठ/कर्मचारी एवं प्रस्तावक विभाग मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के प्रतिनिधि द्वारा दिनांक– 12.05.2015 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त प्रयोजन हेतु रिठानी वन ब्लाक की 0.022 है0 आरक्षित वनभूमि प्रभावित होगी। प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है एवं प्रस्तावित वन भूमि की मांग योजना की आवश्यकता को देखते हुए न्यूनतम है। प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्य किये जाने में किसी भी वृक्षों का पातन नहीं किया जायेगा।

(सौम्य श्रीवास्तव)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

JE(E)

AE(E)

(विजयपाल सिंह)
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
क्षेत्रीय वनाधिकारी
मेरठ रेंज, मेरठ

(संजीव कुमार)
उप प्रभागीय वनाधिकारी,
मेरठ।

(सुशांत शर्मा)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ।

संलग्नकः–6

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा जनपद मेरठ के अन्तर्गत परतापुर 132 के0वी0 के उपकेन्द्र से वेद व्यासपुरी आवासीय कॉलोनी निर्माणाधीन आई0टी0 पार्क में 33/11 के0वी0 के उपकेन्द्र को उर्जीकृत हेतु भूमिगत् विद्युत लाईन/केबिल बिछाने के लिये रिठानी वन ब्लाक की आरक्षित वनभूमि का विवरण :–

क्र0 सं0	स्थल का नाम	प्रयोजन	लम्बाई (मी0में)	चौड़ाई (मी0में)	क्षेत्रफल (व0 मी0 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	रिठानी वन ब्लाक के खसरा न0 241, 275, 276, 281 व 1089 की आरक्षित वनभूमि	भूमिगत् विद्युत लाईन/केबिल बिछाने हेतु	440	0.50	220	आरक्षित वनभूमि
		योग–			220 व0 मी0 या 0.022 है0	आरक्षित वनभूमि

JE(E).
सतीश
अवर अभियन्ता

AE
सहायक अभियन्ता
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

Y.P.

(सौम्य श्रीवास्तव)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

S.E.
(ए०पी० सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता

C.E.
(एस०सी० मिश्र)
मुख्य अभियन्ता

क्षेत्रीय वनाधिकारी
मेरठ रेंज, मेरठ

उप प्रभागीय वनाधिकारी
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मेरठ

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मेरठ।

संलग्नक– ९

मानक शर्तें

(वन अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन की पत्र सं0– 7314/14–3–980/82 दिनांक 31.12.1984 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भॉति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जावेगा। अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. याचक विभाग प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग का किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाय कि माँगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. हस्तान्तरी विभाग उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. भूमि का सीमांकन याचक विभाग अपने व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख–रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर हस्तान्तरी विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथा संभव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों/पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध कराये जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को वापस हो जावेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जावेगी।
11. सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर एलाइन्मेंट तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0नि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता सा0नि0नि0 के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी दिनांक 10.2.1982 में निहित आदेशों का पालन भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा वन मार्गों को मामूली फेरबदल कर पक्का करना होगा बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्चे से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।

क्रमश–– 2 पर

12. वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।
13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो, तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर में याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के स्थान पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष (वर्तमान में 7–10 वर्षों) तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाय का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 100 मी0 एवं 30 अंश से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बांज (Okk) के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाइन ले जाने में यथासंभव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा या खम्भों को ऊँचा करके इसे सुनिश्चित किया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का कटान अनिवार्य प्रतीत होता है, तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन सरक्षक द्वारा निश्चित की जाएगी। जिस पर सम्बन्धित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
16. यदि नहर आदि निर्माण में भू–क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का कराना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याचक अपने व्यय से स्वयं करायेगा।
17. उपरिलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगायी जाती हैं, तो वे याचक विभाग को मान्य होगी।
18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाय अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

उपरोक्त समस्त शर्तें **मेरठ विकास प्राधिकरण,** मेरठ विभाग को मान्य हैं।

Santu
JE(C)

(सौम्य श्रीवास्तव)
सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

संलग्नकः– 24

वन स्वरूप क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा जनपद मेरठ के अन्तर्गत परतापुर 132 के0वी0ए0 के स्टेशन से वेद व्यासपुरी आवासीय कॉलोनी में निर्मित आई0टी0 पार्क में 33/11 के0वी0 के उपकेन्द्र हेतु भूमिगत् विद्युत लाईन बिछाने हेतु रिठानी वन ब्लाक की 0.022 है0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग से सम्बन्धित इस प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि के अतिरिक्त चिन्हित ''वन स्वरूप क्षेत्रों'' की कोई भूमि सम्मिलित नहीं है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
मेरठ।

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
मेरठ।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ।

संलग्नक– 18

राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य आदि के भाग/हिस्सा के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा जनपद मेरठ के अन्तर्गत परतापुर 132 के0वी0ए0 के स्टेशन से वेद व्यासपुरी आवासीय कॉलोनी में निर्मित आई0टी0 पार्क में 33/11 के0वी0 के उपकेन्द्र हेतु भूमिगत् विद्युत लाईन बिछाने हेतु रिठानी वन ब्लाक की 0.022 है0 आरक्षित वनभूमि राष्ट्रीय उद्यान, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग/हिस्सा नहीं है तथा उक्त प्रयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि सेन्चुरी क्षेत्र की 10 किमी0 परिधि सीमा के अन्तर्गत नहीं पड़ता है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
मेरठ।

उप प्रभागीय वनाधिकारी,
मेरठ।

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मेरठ।